भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2832

07.08.2023 को उत्तर के लिए

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण

2832. श्री एन. रेड्डप्प :

श्री कुरुवा गोरांतला माधव :

श्री चंद्र शेखर साहू :

श्री राहुल रमेश शेवाले :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए विभिन्न कार्यकलापों को शामिल करते हुए वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सीएएमपीए के अंतर्गत निधियों के लिए सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सीएएमपीए के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई निधियों का गतिविधि-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को उनके एपीओ के लिए अपेक्षित धनराशि अनुमोदित कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र और ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) विशेष रूप से महाराष्ट्र और ओडिशा सहित राज्यों को शेष निधियां कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(छ) क्या वर्ष 2020-21 में आंध्र प्रदेश को कोई सीएएमपीए निधि आवांटित नहीं की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आवांटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (च) जी हां, राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य काम्पा) विभिन्न काम्पा गतिविधियों सहित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) तैयार करते हैं और प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के तहत प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन के लिए इसे राष्ट्रीय काम्पा को अग्रेषित करते हैं।

राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय काम्पा) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार राज्य काम्पा

की वार्षिक प्रचालन योजनाओं को मंजूरी देता है, जबकि संबंधित राज्य सरकारें वार्षिक प्रचालन योजनाओं की अनुमोदित काम्पा गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए अपने पास उपलब्ध काम्पा निधि जारी करती हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों से प्राप्त और राष्ट्रीय काम्पा द्वारा अनुमोदित 2023-24 की राज्य काम्पा की वार्षिक प्रचालन योजनाएं **अनुबंध-I** में संलग्न हैं। अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण कार्यकलापों के घटकों के अन्तर्गत विभिन्न काम्पा कार्यकलापों के लिए राज्यवार अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना, शुद्ध वर्तमान मूल्य और राज्य काम्पा निधि पर अर्जित ब्याज का विस्तृत ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

(छ) राष्ट्रीय प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश काम्पा वार्षिक प्रचालन योजना को 330.82 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय प्राधिकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न वन विपथन प्रस्तावों के विरुद्ध प्राप्त प्रतिपूरक करारोपण के समाधान के बाद समय-समय पर राज्य काम्पा निधि का हिस्सा संबंधित राज्य/संघराज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करता है। संबंधित वन विपथन प्रस्तावों के साथ प्रतिपूरक करारोपण का समाधान नहीं किए जाने के कारण, 2020-21 में आंध्र प्रदेश को कोई राज्य काम्पा निधि हस्तांतरित नहीं की गई थी। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक प्रचालन योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	आन्ध्र प्रदेश काम्पा की राज्य वार्षिक प्रचालन योजना की स्वीकृति राशि (रुपये करोड़ में)
2021-22	325.00
2022-23	224.09

*****

अनुबंध-I

"काम्पा निधि" के संबंध में श्री एन. रेड्डप्प: श्री कुरुवा गोरांतला माधव: श्री चंद्र शेखर साहू: श्री राहुल रमेश शेवाले: द्वारा दिनांक 07. 08.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2832 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य /संघराज्य क्षेत्र**	**वार्षिक प्रचालन योजना (2023-24)**
1.	अण्डमान और निकोबार	6.70
2.	आंध्र प्रदेश	227.82
3.	अरुणाचल प्रदेश	*
4.	असम	70.69
5.	बिहार	**
6.	चंडीगढ़	1.54
7.	छतीसगढ	471.36
8.	दादर नगर हवेली	*
9.	दमन और दीव	*
10.	दिल्ली	**
11.	गोवा	31.28
12.	गुजरात	250.20
13.	हरियाणा	**
14.	हिमाचल प्रदेश	249.78
15.	जम्मू कश्मीर	272.65
16.	झारखंड	***
17.	कर्नाटक	258.66
18.	केरल	9.06
19.	लद्दाख	20.16
20.	मध्य प्रदेश	949.80
21.	महाराष्ट्र	593.06
22.	मणिपुर	*
23.	मेघालय	26.74
24.	मिजोरम	14.17
25.	नगालैंड	*
26.	ओडिशा	804.31
27.	पंजाब	259.39
28.	राजस्थान	288.18
29.	सिक्किम	47.22
30.	तमिलनाडु	**
31.	तेलंगाना	**
32.	त्रिपुरा	74.59
33.	उत्तपर प्रदेश	77.18
34.	उत्तराखंड	293.24
35.	पश्चिम बंगाल	64.27
	कुल	**5362.05**

टिप्पणी उपरोक्त राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा 31.07.2023 तक दी गई स्वीकृति के अनुसार है।

*** एपीओ प्राप्त नहीं हुआ।**

**** एपीओ प्राप्त हुआ और कार्यकारी समिति के समक्ष रखने की प्रक्रिया चल रही है।**

***** एपीओ प्राप्त, अनुमोदन प्रक्रियाधीन।**

अनुबंध-।।

"काम्पा निधि" के संबंध में श्री एन. रेड़डप्प: श्री कुरुवा गोरांतला माधव: श्री चंद्र शेखर साहू: श्री राहुल रमेश शेवाले: द्वारा दिनांक 07. 08.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2832 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

		2023-24		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सीए**	**एनपीवी**	**ब्याज**
1	अण्डमान और निकोबार	3.91	2.66	0.13
2	आंध्र प्रदेश	95.27	127.84	4.71
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
4	असम	8.85	54.53	7.31
5	बिहार	-	-	
6	चंडीगढ़	1.22	0.19	0.13
7	छतीसगढ	85.59	376.91	8.86
8	दादर नगर हवेली	-	-	-
9	दमन और दीव	-	-	-
10	दिल्ली	-	-	-
11	गोवा	13.26	14.58	3.44
12	गुजरात	99.47	150.37	0.25
13	हरियाणा	-	-	-
14	हिमाचल प्रदेश	47.25	122.29	3.5
15	जम्मू कश्मीर	15.68	253.37	3.5
16	झारखंड	-	-	-
17	कर्नाटक	22.36	235.26	1.04
18	केरल	2.61	5.96	0.49
19	लद्दाख	-	10.63	9.54
20	मध्य प्रदेश	145.33	795.01	9.46
21	महाराष्ट्र	71.71	511.21	10.14
22	मणिपुर	-	-	-
23	मेघालय	7.74	18.73	0.27
24	मिजोरम	0.61	12.81	0.75
25	नगालैंड	-	-	-
26	ओडिशा	215.96	582.35	6.00
27	पंजाब	60.41	183.94	12.75
28	राजस्थान	67.55	218.36	2.27
29	सिक्किम	23.96	6.86	16.40
30	तमिलनाडु	-	-	-
31	तेलंगाना	-	-	-

32	त्रिपुरा	18.51	48.28	7.80
33	उत्तपर प्रदेश	58.82	22.9	72.27
34	उत्तराखंड	93.68	179.15	20.41
35	पश्चिम बंगाल	5.67	56.095	2.5
	कुल	**1165.42**	**3990.285**	**203.92**